बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

विज्ञापन संख्या **06/2019** के अधीन स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय आर.बी.टी.एस. होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में डेन्टिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश–

दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 02:30 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर
16.11.2022	201906000145, 201906000198, 201906000274	201906000794 & 201906000807

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक (Roll No.) डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।** आयोग के उक्त वेबसाईट पर (i) आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I एवं (ii) परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र–II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I एवं प्रपत्र–II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

03. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगाः–**

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्र।

(ii) स्नातक (BDS) का प्रत्येक वर्ष का अंक पत्र (Pass/Fail दोनों स्थिति में)।

(iii) स्नातक (BDS) का डिग्री प्रमाण–पत्र।

(iv) स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका 3 में वर्णित (BDS) डिग्री का भारतीय दंत परिषद् से अनुमान्यता का प्रमाण पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका 3 में वर्णित स्नातकोत्तर डिग्री का भारतीय दंत परिषद् से अनुमान्यता का प्रमाण पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका 3 के अनुरूप बिहार राज्य सरकारी अस्पताल में दंत चिकित्सक का सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र।

(viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।

(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र।

(xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(xiii) **दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र।**
नोटः– **अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।**

(xiv) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र (परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।

(xv) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का **अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।**

(xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा – मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि।

(xvii) हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) फोटो।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने करने की अंतिम तिथि 26.11.2019 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए।

04. उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति साक्षात्कार के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।

05. यदि साक्षात्कार के दिन आप अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपको साक्षात्कार में शामिल नहीं कराया जायेगा।

06. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अथवा दिव्यांगता अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय कंडिका 3 में उल्लेखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

07. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

08. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
09. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का **इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि** आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
10. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

15.11.22

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना